न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी अमीलाल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 85/2025

शिव करण पुत्र सुगनाराम जाति ब्राहम्ण आयु 43 वर्ष निवासी ग्राम सडूबड़ी तहसील बीदसार जिला चूरू (राजस्थान)

........वादी........

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
2. श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय पंजाब नेशनल बैंक शाखा सुजानगढ, तहसील सुजानगढ जिला चूरू

..........प्रतिवादीगण..........

दावा घोषणात्मक

उपस्थितः– (1) विद्वान अधिवक्ता श्री गोवर्धनसिंह राठौड़, महावीरसिंह राठौड़ वादी की ओर से व
(2) प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध एक पक्षीय
(3) राजपैरोकार उपस्थित

दिनांक : 26-8-25

–: निर्णय :–

दावे के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी के नाम से खेत खसरा संख्या 778/16 भूमि तादादी 2.2384 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम सडूबड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान मे वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे एकल खातेदारी एंव के कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग में चली आ रही है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में उपरोक्त खसरेजात की भूमि की खातेदारी वादी शिव करण पुत्र सुगनाराम जाति ब्राह्मण के नाम से राजस्व रेकॉर्ड मे चली आ रही है जो अशुद्ध है वादी शिव करण के पिता सुगनाराम का स्वर्गवास हुआ उस वक्त राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश वादी का नाम शिवरतन पुत्र सुगनाराम दर्ज कर दिया जबकि वादी का शुद्ध नाम शिव करण पुत्र सुगनाराम था। वादी के आधार कार्ड संख्या 9351 7080 9306 में वादी का नाम शिव करण पुत्र सुगनाराम दर्ज है तथा वादी के पास अन्य सरकारी दस्तावेजात जन आधार कार्ड संख्या (4816104824) में वादी शिव करण पुत्र सुगनाराम, पेन कार्ड NGZPK6091K में वादी शिव करण पुत्र सुगनाराम, व बैंक पास बुक एस.बी.आई. शाखा कातरछोटी मे वादी शिव करण पुत्र सुगनाराम आदि दस्तावेजात मे दर्ज है। जो सही व शुद्ध नाम है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड मे वादी का नाम शिवरतन पुत्र सुगनाराम अशुद्ध होने के कारण वादी वर्तमान गलत राजस्व रेकॉर्ड को दुरुस्त करवाकर वादी अपना सही व शुद्ध नाम शिव करण पुत्र सुगनाराम की घोषणा करवाने का अधिकारी है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड मे वादी का नाम शिवरतन पुत्र सुगनाराम अशुद्ध रहते हुये वादी सरकारी लाभ, ऋण, के.सी.सी. व फसल बीमा इत्यादि प्राप्त नही कर सकता है, इसलिये वादी के लिये आवश्यक हो गया है कि वो राजस्व रेकॉर्ड मे वादी अपना नाम शिवरतन पुत्र सुगनाराम की जगह शुद्ध व सही नाम शिव करण पुत्र सुगनाराम की घोषणा करावे अन्यथा गलत राजस्व रेकॉर्ड के रहते हुये

लगातार........2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

वादी अपूर्तिय क्षति होगी और वादी को सरकारी लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। वादी ने दिनांक 27.05.2025 (सताईस मई सन् दो हजार पच्चीस) को प्रतिवादी संख्या 01 से निवेदन किया कि आप वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में मेरा जो गलत व अशुद्ध शिवरतन पुत्र सुगनाराम नाम दर्ज है को सही व दुरूस्त कर सही नाम शिव करण पुत्र सुगनाराम दर्ज कर देवें तो प्रतिवादी संख्या 01 ने इन्कार कर दिया और कहा कि आप सक्षम न्यायालय मे जाकर अपना सही नाम शिव करण पुत्र सुगनाराम की घोषणा करावें। जिस पर वादी ने दावा पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन पंजीकृत डाक से तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 2 न्यायालय में उपस्थित नही होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। राजपैरोकार ने अपना जबाब राज्य हित निहित नहीं होना पेश (अंकित) किया।

बहस अंतिम सुनी गयी वादी के अधिवक्ता ने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादी का शुद्ध व सही नाम दस्तावेजात के आधार पर शिव करण पुत्र सुगनाराम है जो उक्त दस्तावेजात से साबित है, वादी का दावा डिक्री किया जावे। हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक सुक्षमता से अवलोकन किया तो उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से यह साबित है कि वादी का वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में शिवरतन पुत्र सुगनाराम अशुद्ध नाम है, वादी का शुद्ध व सही नाम शिव करण पुत्र सुगनाराम है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड को दुरूस्त किया जाकर वादी का सही नाम शिव करण पुत्र सुगनाराम नाम की घोषणा वादी राजस्व रेकॉड में करवाने का अधिकारी है। वादी का घोषणात्मक दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादी का घोषणात्मक दावा अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वर्तमान खाता संख्या 328 में अंकित खेत खसरा संख्या 778/16 भूमि तादादी 2.2384 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम सडूबड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान के राजस्व रेकॉर्ड में वादी का शिवरतन पुत्र सुगनाराम अशुद्ध नाम है, जिसे दुरूस्त कर सही व शुद्ध नाम शिव करण पुत्र सुगनाराम दर्ज किये जाने का प्रतिवादी संख्या 1 को आदेश दिया जाता है। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 26-8-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमीलाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, बीदासर

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते
बीदासर

अन्तिम डिक्री व इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूप 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास अमीलाल यादव आर.ए.एस.

शिव करण बनाम राजस्थान सरकार आदि

दावा घोषणात्मक

राजस्व वाद संख्या :– 85/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हाजरी श्री गोर्वधनसिंह राठौड़, महावीरसिंह राठौड़ वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुद्दई व राजपैरोकार उपस्थित व प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एक तरफा मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वर्तमान खाता संख्या 328 में अंकित खेत खसरा संख्या 778/16 भूमि तादादी 2.2384 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम सड़ूवड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान के राजस्व रेकॉर्ड में वादी का शिवरतन पुत्र सुगनाराम अशुद्ध नाम है, जिसे दुरूस्त कर सही व शुद्ध नाम शिव करण पुत्र सुगनाराम दर्ज किये जाने का प्रतिवादी संख्या 1 को आदेश दिया जाता है। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अन्तिम डिक्री की पालना बाबत तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

चीज............—............मुबलिग............—............बाबत............—............खर्चा

इस मुकदमें के मय सुद व शरह ....—............फीसदी

सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....—............को

अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26-8-25

दस्तखत ....

उपखण्ड अधिकारी

ओहदा .... बीदासर

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाई	रूपये	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट: खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर